

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

आदेश-बे0शि0/सि0सहा0/मान्यता/EUB-100/2014 2015-16

दिनांक 20/7/2016

सेवा में,

प्रबन्धक,

सैक्स-कॉन्टिनेन्टल स्कूल
आलावली, कां. सोन-मुसाववा

विषय-

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के अधिनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 21-8-15 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परधानवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सैक्स-कॉन्टिनेन्टल स्कूल, आलावली, कां. सोन-मुसाववा को तारीख 10-2-2016 से दिनांक 10-2-2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा कक्षा-1 से कक्षा कक्षा-8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधकता विद्यमान नहीं है।
- विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति किसी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- धारा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
- सोलायटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में सीट नहीं दिया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निरक्षरता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की नहीं अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यपुस्तक के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

अग्निशमन का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डारालय के लिए कक्ष:-

बालक, और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड डे मील पकाने के लिए रसोई

वायुप्रदूषण परीक्षण

अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीडा खेलकूद उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाये जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अभिनियम 1880 (1880 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या FUPS-100/2014 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. सतत उपर्युक्त के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राचारों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रबन्धीय

(मुने अर्खी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

मुरादाबाद।

पूरा सं: - बेसिक/शिक्षा/मान्यता/FUPS-100/2014/2015-18 दिनांक-उत्तरदाता।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, मुरादाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), आदश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

मुरादाबाद।